राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 70 /2019 दिनांक :30 .08.2019

श्रीमती पूनम मीना (RJ0819), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल (भीलवाड़ा) को दिनांक 05.09.2019 से 02.11.2019 तक 59 दिनों का **संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave)** दिनांक 03.11.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ0917), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, माण्डल (भीलवाड़ा) को श्रीमती पूनम मीना के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल (भीलवाड़ा) के पद का **अतिरिक्त कार्यभार** सम्पादित किये जाने हेतु एतदद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

(1) ऐसे प्रकरणों, *जिनमें* अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।

(2) श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ0917), *जिनको* वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल (भीलवाड़ा) के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

30.8.19

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/101/2013/ 8215 दिनांक30 .08.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 9114/9232 दिनांक 14.08.2019/20.08.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती पूनम मीना (RJ0819), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल (भीलवाड़ा) ।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, माण्डल (भीलवाड़ा)।
5. श्री शैलेन्द्र चौधरी (RJ0917), न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, माण्डल (भीलवाड़ा) ।
6. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, माण्डल (भीलवाड़ा) ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

30.8.2019

सहायक रजिस्ट्रार